



# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०

खाद्य भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०-२ पटना-०१

पत्रांक- ०२:०५:२०६:०१:२०१६ पार्ट-२- ८५७८ परिवहन/पटना, दिनांक- २३/८/१७  
प्रेषक,

पंकज कुमार, भा०प्र०से०  
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

विषय-

राज्य खाद्य निगम के अधीन डोर स्टेप डिलेवरी के अन्तर्गत कार्यरत परिवहन हथालन-सह-आपूर्ति अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं उन्हें अवधि विस्तार देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि राज्य के विभिन्न जिलों के लिए डोर स्टेप डिलेवरी के अन्तर्गत परिवहन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु न्यूनतम २८-/रु० प्रति क्वी० एवं अधिकतम ३८.४० रु० प्रति क्वी० परिवहन दर का मापदण्ड है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत राज्य के अधिकतर जिलों में न्यूनतम दर पर ही डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गयी है। कतिपय जिलों में जिला परिवहन समिति द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन अभिकर्ताओं को अधिकतम दर से भी अधिक पर नियुक्ति की गयी है। साथ ही नियुक्त परिवहन अभिकर्ताओं का कार्यावधि समाप्त होने के उपरान्त जिला परिवहन समिति द्वारा उन्हें अवधि विस्तार भी दे दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि कतिपय जिलों में अधिकतम दर से अधिक पर परिवहन व्यय का भुगतान करने के कारण निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

अद्यतन समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कई जिलों में मुख्य परिवहन अभिकर्ता की रिक्तियाँ रहने के बावजूद इसमें निविदा नहीं निर्गत की जा रही है- यथा डोर स्टेप परिवहन अभिकर्ता के लिए मोतिहारी जहाँ २८ से अधिक प्रखंड एवं ५ से अधिक नगर पंचायत होने के बावजूद मात्र ७ परिवहन अभिकर्ता कार्यरत हैं एवं ४ रिक्त है। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर जिले में ६, बेतिया में ५, अररिया एवं कटिहार में ६-६ रिक्तियाँ हैं। अतः समय-सीमा पूर्ण होने के तीन महीना पूर्व उक्त जिलों में निविदा निर्गत की जाय और समयावधि के पूर्व पूर्ण पारदर्शी तरीके से विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाय।


उल्लेखनीय है कि परिवहन अभिकर्ता की कमी के कारण खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण में विलम्ब के कारण फूड कैलेण्डर लागू होने में कठिनाई होती है एवं कई जिलों में खाद्यान्न आगामी महीने में भेजा जाता है जो वांछनीय नहीं है।

वैसे जिला जहाँ अधिकतम दर पर डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन अभिकर्ता कार्यरत है, उन जिलों में परिवहन अभिकर्ता के कार्यकाल समाप्त के उपरान्त अवधि विस्तार देने के पूर्व परिवहन दर की समीक्षा कर ली जाय। समीक्षोपरान्त ही जिला परिवहन समिति द्वारा उन्हें अवधि विस्तार देने अथवा निविदा के माध्यम से नयी नियुक्ति करने पर विचार किया जाय।

समीक्षा के क्रम में यह भी बात प्रकाश में आया है कि मुख्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी परिवहन अभिकर्ता द्वारा पर्याप्त मात्रा में वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण खाद्यान्न का वितरण/उठाव विस्तारित अवधि में किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि इसका मोनिटरिंग प्रतिदिन किया जाय एवं वैसे परिवहन अभिकर्ता जिनके द्वारा कम मात्रा में परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराया जाता है एवं विलम्ब किया जाता है उन्हें दण्डित करने के साथ-साथ उनके एकरारनामे का रद्द करने की विहित प्रक्रिया अपनाते हुए शीघ्र परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाय।


विश्वासभाजन,

  
(पंकज कुमार)  
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापक:- ८५७८

प्रतिलिपि:-सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:- २३/८/१७

  
(पंकज कुमार)  
प्रबंध निदेशक।

**जिलो में कार्यरत परिवहन अभिकर्ता से सम्बन्धित अद्यतन स्थिति दिनांक 18.08.2017**

क्र०	जिला	परिवहन अभिकर्ता (मुख्य)			परिवहन अभिकर्ता (डोर स्टेप डिलेवरी)		
		परिवहन अभिकर्ता की आवश्यकता	वर्तमान में नियुक्त एवं कार्यरत परिवहन अभिकर्ताओं की संख्या	रिक्ति	परिवहन अभिकर्ता की आवश्यकता	वर्तमान में नियुक्त एवं कार्यरत परिवहन अभिकर्ताओं की संख्या	रिक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पटना	3	5	—	13	4	9
2.	नालन्दा	3	2	1	6	6	1
3.	भोजपुर	3	2	1	5	5	—
4.	औरंगाबाद	3	3	—	5	3	2
5.	नवादा	2	1	1	4	2	2
6.	सारण	3	2	1	7	6	1
7.	गोपालगंज	2	2	—	5	1	4
8.	मुजफ्फरपुर	4	2	2	10	4	6
9.	बेतिया	4	3	1	8	3	5
10.	मोतिहारी	5	3	2	11	7	4
11.	सहरसा	2	2	—	4	3	1
12.	मधेपुरा	2	1	1	5	3	2
13.	पूर्णिया	3	1	2	7	4	3
14.	अररिया	2	1	1	7	1	6
15.	कटिहार	2	1	1	7	1	6
16.	किशनगंज	1	1	—	4	—	4
17.	खगड़िया	2	1	1	4	2	2
18.	बाँका	2	2	—	4	2	2
19.	बक्सर	2	1	1	2	3	—
20.	रोहतास	4	4	—	5	4	1
21.	कैमुर	2	5	—	3	11	—
22.	गया	3	1	2	8	7	1
23.	जहानाबाद	1	1	—	2	3	—
24.	अरवल	1	1	—	1	1	—
25.	सिवान	2	2	—	6	6	—
26.	वैशाली	2	2	—	8	6	2
27.	सीतामढ़ी	3	3	—	8	6	2
28.	शिवहर	1	1	—	1	2	—
29.	दरभंगा	3	4	—	9	9	—
30.	मधुबनी	4	4	—	10	7	3
31.	समस्तीपुर	3	3	—	10	5	5
32.	सुपौल	2	2	—	5	2	3
33.	मुँगेर	1	1	—	3	2	1
34.	जमुई	1	1	—	4	3	1
35.	लखीसराय	1	1	—	2	1	1
36.	शेखपुरा	1	1	—	1	2	—
37.	बेगूसराय	2	3	—	7	5	2
38.	भागलपुर	2	2	—	6	3	3
	योग	89	78	18	217	145	84